MESSAGE

भारत निर्वाचन आयोग का सन्देश कि ''कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से न छूटे'' को पूरा करने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.2000 को पैदा हुए युवा जोकि दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगें, के लिये मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु दिनांक 31.10.2017 से 30.11.2017 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के माध्यम से विशेष अभियान चलाया हुआ है। सभी युवा अपने जिला से सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों/ बूथ लेवल अधिकरियों को मतदाता के रुप में पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म नं0 6 भरकर 2(दो) पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, रिहायश तथा जन्म प्रमाण पत्र की प्रति सहित दिनांक 30.11.2017 तक प्रस्तुत कर सकते है ।

जो युवा 01.01.2000 को पैदा हुए और 01.01.2018 को मतदाता सूची में मतदाता के रुप में पंजीकृत हुए है, इक्कीसवीं सदी के मिलेनियम मतदाता कहें जायेगें ।

अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नं0 1950 पर सम्पर्क करें ।

अंकुर गुप्ता, आई.ए.एस.,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।